

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**  
**//आदेश//**

04 MAR 2014

नया रायपुर दिनांक /03/2014

क्रमांक-एफ-2-35/2013/सात-2--:- राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर वेतन बैंड रुपये 9300-34800 तथा ग्रेड पे 4200 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 04 में दर्शाये गये स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

क्रमांक	राजस्व निरीक्षक का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
01	02	03	04
1	श्री गुलाबचन्द्र कौशिक	जिला-बिलासपुर	जिला-बस्तर
2	श्री कैलाश नाथ द्विवेदी	जिला-बिलासपुर	जिला-सरगुजा
3	श्री अब्दुल खान	जिला-सरगुजा	जिला-बलरामपुर
4	श्री बलीराम	जिला-रायपुर	जिला-कांकेर
5	श्री अश्वनी कुमार बेहार	जिला-रायगढ़	जिला-कोरबा
6	श्री तिलक कुमार दास	जिला-रायपुर	जिला-कोरिया
7	श्री बिल्वर्ट शामुअल करीम	जिला-रायपुर	जिला-सुकमा
8	श्री देवनीश तिकी	जिला-बलरामपुर	जिला-सरगुजा
9	श्री हुकुम सिंह बारटी	जिला-बस्तर	जिला-दंतेवाड़ा
10	श्री गोविन्द सिंह	जिला-सरगुजा	जिला-जशपुर
11	श्री साहूकार सार्वार्	जिला-महासमुंद	जिला-कोंडागांव
12	श्री सुखलाल मानकर	जिला-दुर्ग	जिला-गरियाबंद
13	श्री सोहनराम नेताम	जिला-धमतरी	जिला-कांकेर
14	श्री बीरसिंह कुशराम	जिला-रायपुर	जिला-बस्तर
15	श्री निलाम्बर सिंह नेताम	जिला-बिलासपुर	जिला-कोंडागांव
16	श्री रामसिंह सिदार	जिला-जांजगीर-चांपा	जिला-बस्तर
17	श्री एकाम्बर सिंह	जिला-जशपुर	जिला-कांकेर
18	श्री सिलेबस्तर लकड़ा	जिला-सरगुजा	जिला-जशपुर
19	श्री रामचन्द्र धुव	जिला-रायपुर	जिला-दंतेवाड़ा

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशों का पालन किया गया है।

3/ उपरोक्त राजस्व निरीक्षकों का पदोन्नति आदेश इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है या आदेशित नहीं है, और वे निलंबित नहीं हैं। यदि उपरोक्त सूची में किसी राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है या आदेशित है या वह निलंबित है अथवा अपराधिक प्रकरण दर्ज है तो उनके मामले में पदोन्नति आदेश शून्य माना जावेगा।

4/ संबंधित जिले के कलेक्टर का कर्तव्य होगा कि उपरोक्त पैरा 3 में उल्लेखित स्थिति में संबंधित राजस्व निरीक्षक को भारमुक्त न करें और तत्काल पूर्ण विवरण के साथ जानकारी इस विभाग को भेजें, ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रकान्त उइके)

संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

04 MAR 2014

रायपुर दिनांक /03/2014

पृ.क्रमांक-एफ-2-35/2013/सात-2

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर.
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर.
3. आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभाग.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर.
5. आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर.
7. सर्व संबंधित कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. संबंधित कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़,
9. सर्व संबंधित, द्वारा संबंधित कलेक्टर।
10. व्यक्तिगत नस्ती/विभागीय जांच पटल/गोपनीय फोल्डर/गार्ड फाइल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग